न्यूज़ टुडे

RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) के नियमों में ढील दी

PSL से जुड़े ये **नए नियम** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** की **धारा 22(1)** के तहत जारी किए गए हैं।

SFBs के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) संबंधी नियमों में किए गए मुख्य बदलाव

पुराने नियम	नए नियम (वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी)
• SFBs को अपने **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)** का **75%** हिस्सा PSL क्षेत्रक को ऋण के तौर पर देना **अनिवार्य** था। - **40%: कृषि, सूक्ष्म उद्यम** आदि जैसे PSL क्षेत्रक के लिए अनिवार्य। - **35%:** यह **फ्लेक्सिबल** ऋण आवंटन जैसा था। इस हिस्से का उपयोग SFBs उन PSL क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए कर सकते थे, जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो।	• **कुल PSL को घटाकर अब ANBC का 60%** कर दिया गया है। - **40%:** इसे कृषि, सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे PSL क्षेत्रक के लिए अब भी **अनिवार्य** रखा गया है। - **20%:** PSL क्षेत्रक के लिए **फ्लेक्सिबल** ऋण आवंटन को **35% से घटाकर 20%** कर दिया गया है।

- **SFBs पर प्रभाव:**
  - अब **लगभग 40,000 करोड़ रुपये** की राशि कम जोखिम वाले सुरक्षित क्षेत्रों जैसे कि **प्रॉपर्टी के एवज में ऋण (LAP), पर्सनल लोन** आदि में वितरित करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी।
  - इससे SFBs को माइक्रोफाइनेंस से आगे बढ़कर अपने **ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिलेगी,** जिससे **जोखिम भी कम** होगा।

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) के बारे में

- **स्थापना:** PSL की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी।
- **अवधारणा:** RBI द्वारा प्रारंभ किया गया **PSL फ्रेमवर्क** बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने **एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC)** का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में प्रदान करें।
  - **ANBC में क्या शामिल होता है:** नेट बैंक क्रेडिट (NBC), गैर-वैधानिक तरलता अनुपात यानी नॉन-SLR बॉण्ड में बैंकों का निवेश, आदि।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक की श्रेणियां:** कृषि; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME); निर्यात ऋण; शिक्षा; आवास; सामाजिक अवसंरचना; नवीकरणीय ऊर्जा; आदि।
- **PSL के मानदंड किन पर लागू हैं:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित सभी वाणिज्यिक बैंक (PSBs), स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB), लोकल एरिया बैंक (LAB) और **वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर** प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (UCB)।

स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के बारे में

मुख्य जानकारी और विनियामकीय ढांचा

शुरुआत: इसकी घोषणा **2014-15 के केंद्रीय बजट** में की गई थी।

पंजीकरण: इसे **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत एक **पब्लिक लिमिटेड कंपनी** के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

लाइसेंस: इन्हें **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** की **धारा 22** के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य:
- **निम्नलिखित के जरिए वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना:**
  - अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक **बचत सेवाएं** पहुंचाना।
  - उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर और अपने परिचालन लागत को कम कर **छोटे व्यवसायों, लघु किसानों,** आदि को वहनीय ऋण उपलब्ध कराना।

पूंजी आवश्यकता:
- SFB के लिए **न्यूनतम पेड-अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल (नेटवर्थ)** की आवश्यकता **200 करोड़ रुपये** निर्धारित की गई है।
- **प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCBs)** को SFB में परिवर्तित होने के लिए, व्यवसाय शुरू करने की तारीख से **100 करोड़ रुपये** की न्यूनतम नेटवर्थ होनी चाहिए। हालांकि, उन्हें व्यवसाय शुरू करने की तारीख से **पांच साल के भीतर अपनी न्यूनतम नेटवर्थ बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करनी होगी।**

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया

रक्षा मंत्री ने **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) को **थल सेना, नौसेना और वायुसेना** के लिए **संयुक्त आदेश जारी करने** हेतु अधिकृत किया है।

- गौरतलब है कि पुरानी व्यवस्था में तीनों सेनाएं अलग-अलग आदेश जारी करती थीं। संयुक्त आदेश जारी करने का नया नियम सशस्त्र बलों में **संयुक्तता (Jointness)** और **एकीकरण (Integration)** सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

संयुक्तता (Jointness) और एकीकरण (Integration) क्या हैं?

- **संयुक्तता या जॉइन्ट्नेस:** सशस्त्र बलों की **संयुक्तता** का अर्थ है तीनों सेनाओं की विशिष्टता का सम्मान करते हुए **संसाधनों का समन्वित उपयोग** करना। इससे **सर्वोत्तम परिणाम** प्राप्त होंगे और कार्यों के दोहराव से बचा जा सकेगा।
- **एकीकरण:** संयुक्तता आगे चलकर तीनों सेनाओं को एकीकृत करने में मदद करेगी। इसका अर्थ है **सेना के अलग-अलग घटकों को औपचारिक रूप से एकीकृत संरचना में शामिल करना।**
  - यह **थियेटर कमांड के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त** है।
- यह **रक्षा सुधारों के नौ प्राथमिक क्षेत्रकों में से एक** है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने **वर्ष 2025 को "सुधारों का वर्ष"** घोषित किया है।
- संयुक्तता और एकीकरण से **प्रक्रियाओं को सरल** बनाने और **अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा** देने में मदद मिलेगी।

संयुक्तता और एकीकरण के लिए की गई पहलें

- **थिएट्राइजेशन का प्रस्ताव: इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड्स (ITCs)** और **इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs)** के प्रस्ताव किए गए हैं। इनका उद्देश्य अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और कार्यों के आधार पर **तीनों सेनाओं की क्षमताओं को मिलाकर ऑपरेशनल रेडीनेस क्षमता बढ़ाना** है।
- **इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल और डिसिप्लिन) नियम, 2025:** ये नियम इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (ISOs) के प्रभावी कमांड और कंट्रोल तथा कुशल काम-काज को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति:** CDS का मुख्य दायित्व तीनों सेनाओं के **संचालन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, प्रशिक्षण आदि में 'संयुक्तता'** सुनिश्चित करना है।
- **सैन्य कार्य विभाग (DMA):** इसे **रक्षा मंत्रालय में गठित** किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस **विभाग का सचिव** होता है।
- **संयुक्त कमांड:**
  - **अंडमान और निकोबार कमांड (A&NC)** भारत की तीनों सेनाओं का पहला और एकमात्र थिएटर कमांड है।
  - **स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC)** परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाला कमांड है।
- **हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (HQ IDS):** इसे सरकार को तीनों सेनाओं से संबंधित एकीकृत सैन्य सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है।

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में डिजिटल गवर्नेंस में बेहतर डेटा-गुणवत्ता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया

नीति आयोग की रिपोर्ट "**इंडियाज़ डेटा इम्पेरेटिव: द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी**" में रेखांकित किया गया है कि पिछले दशक में **भारत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)' के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर** बनकर उभरा है।

- रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल विकास यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, उसे अब **केवल डेटा की संख्या बढ़ाने की बजाय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना** चाहिए।
  - गुणवत्ता वाले डेटा यानी डेटा क्वालिटी के छह मुख्य गुण हैं - **सटीकता** (Accuracy), **पूर्णता** (Completeness), **समयबद्धता** (Timeliness), **निरंतरता** (Consistency), **वैधता** (Validity) और **विशिष्टता** (Uniqueness)।

गवर्नेंस के लिए गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता क्यों है?

- **डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाना:** उच्च गुणवत्ता वाला डेटा UPI, आधार, आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संचालन को प्रभावी बनाता है और सरकारी सेवाओं के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है।
- **फंड के अपव्यय रोकना:** गलतियों या डुप्लीकेट एंट्री के कारण सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं के **बजट में हर साल 4 से 7% तक की वृद्धि** हो सकती है।
- **जनता का विश्वास बढ़ाना:** खराब डेटा के कारण **लाभार्थियों की पहचान में गलती** हो जाती है और **सेवा वितरण में भी देरी** होती है। इससे **जनता में असंतोष** बढ़ता है। गुणवत्ता वाला डेटा इन समस्याओं को दूर करता है और आवेदनों या क्लेम के ख़ारिज होने की संभावनाओं को कम करता है।

गवर्नेंस के लिए गुणवत्ता वाले डेटा का लाभ उठाने के समक्ष व्याप्त चुनौतियां

- **दोषपूर्ण डेटा संग्रह करना:** फील्ड कार्यक्रमों या सर्वेक्षणों के दौरान अक्सर **सटीक डेटा की बजाय तेज गति से डेटा संग्रह को प्राथमिकता** दी जाती है। इस वजह से **80% सटीकता को भी "अच्छा डेटा"** मान लिया जाता है।
- **अलग-अलग डेटा भंडार:** कुछ डेटा सिस्टम आधुनिक क्लाउड टूल्स का उपयोग करते हैं, लेकिन **कई सिस्टम्स अब भी पुराने डेटाबेस पर निर्भर** हैं जिनमें **ऑडिट ट्रेल और मानकीकृत संरचना** की कमी देखी गई है।
- **डेटा साझा करने में विसंगति:** विभिन्न विभाग **अलग-अलग डेटा फॉर्मेट और डेटा अपडेट शेड्यूल का पालन** करते हैं, जिससे डेटा एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इस प्रक्रिया में लागत भी बढ़ जाती है।
- **डेटा आर्काइव रखने की पुरानी पद्धतियां:** पुराने और अप्रासंगिक डेटा रिकॉर्ड शायद ही कभी हटाए जाते हैं, जिससे सिस्टम धीमा होता है और डेटा लीक का खतरा बढ़ जाता है।

नीति आयोग की उपर्युक्त रिपोर्ट में दो प्रमुख उपाय सुझाए गए हैं:

- **डेटा क्वालिटी स्कोरकार्ड अपनाना:** इससे डाटासेट्स की निगरानी की जा सकेगी और समय-समय पर उसमें सुधार भी किया जा सकेगा।
- **डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क अपनाना:** इसमें सात आयाम (Dimensions) और पांच स्तर (Levels) होंगे, जो विभागों को उनके डेटा सिस्टम का आकलन करने और उन्हें अपग्रेड करने में मदद करेगा।

डेटा क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क के सात आयाम

- डेटा गवर्नेंस और स्वामित्व
- मानक एवं मेटाडेटा
- डेटा कैप्चर और सत्यापन नियंत्रण
- डेटा गुणवत्ता की निगरानी और रिपोर्टिंग
- सुधार और फीडबैक लूप
- इंटरऑपरेबिलिटी और एकीकरण
- कल्चर एंड कैपेसिटी

सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR) 2025 में भारत शीर्ष 100 में शामिल

2025 की SDR रिपोर्ट की थीम है – '**2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास के लिए वित्त-पोषण** (Financing Sustainable Development to 2030 and Mid-Century)'। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया ने **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)** को हासिल करने के लिए अब तक कितनी प्रगति की है।

- **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क** (UNSDSN) वर्ष 2016 से हर साल **सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR)** जारी करता है।
- UNSDSN की **शुरुआत 2012 में हुई थी**, ताकि **वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों** की मदद से SDGs और पेरिस जलवायु समझौते को लागू किया जा सके।

सतत विकास लक्ष्य (SDGs) क्या हैं?

- SDGs दरअसल **17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह** हैं। इन्हें **2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाया गया था। ये लक्ष्य **सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा** का हिस्सा हैं और इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- SDGs की नींव **सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों** (Millennium Development Goals: MDGs) पर रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि MDGs का मुख्य उद्देश्य **वर्ष 2000 से 2015** के दौरान **वैश्विक स्तर पर चरम गरीबी को कम करना** था।

भारत के लिए SDG डैशबोर्ड और मुख्य ट्रेंड्स

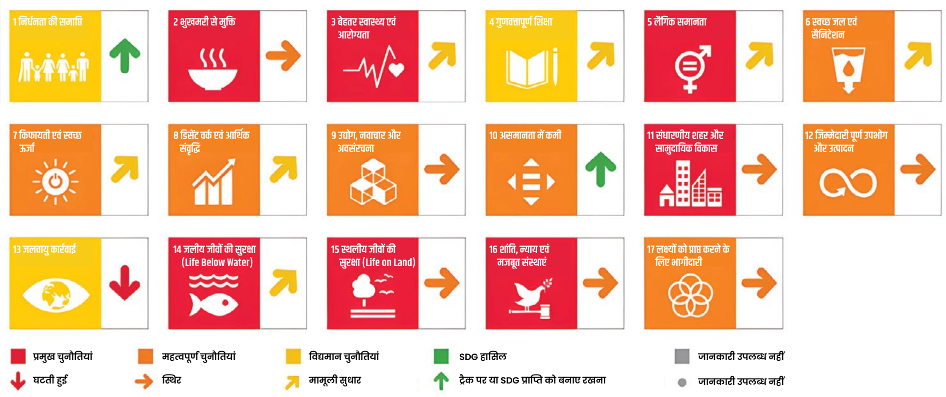

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **SDGs को हासिल करने के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता मजबूत स्थिति में:** 193 में से **190 देशों** ने सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपना **नेशनल एक्शन प्लान** पेश किया है।
- **SDGs को हासिल करने का लक्ष्य अभी दूर है:** ऐसा **कोई भी SDG नहीं** है जो 2030 तक पूरा होने की राह पर हो।
- **संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद (UN Multilateralism) को लेकर समर्थन:** 2025 की **यू.एन. मल्टीलेटरलिज्म (UN-Mi)** रैंकिंग में **बारबाडोस पहले स्थान** पर है, जबकि **संयुक्त राज्य अमेरिका** अंतिम स्थान पर है।
- **भारत की उपलब्धि:** भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और **2024 के 109वें रैंक** से आगे बढ़कर **2025 में 99वें रैंक** पर पहुंच गया है।
  - 2025 की SDR रिपोर्ट में **फिनलैंड पहले स्थान** पर है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि SDGs को हासिल करने की **रफ्तार धीमी** हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर **संघर्ष या युद्ध** चल रहे हैं, कई देशों में **संरचनात्मक कमजोरियां अभी भी मौजूद** हैं और उनके पास खर्च करने के लिए **पर्याप्त पैसे (राजकोषीय संसाधन)** नहीं हैं। इसके अलावा, अमीर देशों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने में देर की है, जिससे SDGs को पूरा करने हेतु जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है।

प्रधान मंत्री ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 'ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह' को संबोधित किया

श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद या वार्ता 1925 में **शिवगिरी मठ** में हुई थी। वार्ता के दौरान उन्होंने **वायकोम सत्याग्रह, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों के उत्थान** जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी।

महात्मा गांधी की अहिंसा

- **अहिंसा एक सिद्धांत के रूप में:** गांधीजी ने उन सभी धार्मिक और राजनीतिक सिद्धांतों का खंडन किया जो सत्य और अहिंसा के आदर्शों के विपरीत थे।
- गांधीजी के लिए, **हिंसा सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के विरोध या निषेध** के समान थी, और **अहिंसा ईश्वर तक पहुँचने का एक आदर्श मार्ग** था।
- हालांकि, गांधीजी ने **'करुणा (Compassion)'** को अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्तियों में निहित **कई सद्गुणों में से एक** माना।

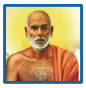

नारायण गुरु का करुणा-केंद्रित दृष्टिकोण

- श्री नारायण गुरु के अनुसार, **करुणा** एक अद्वैतवादी का **मुख्य गुण** है और इसमें अहिंसा सहित सभी नैतिक कर्तव्य और मूल्य समाहित हैं।
- **आत्मोपदेश शतकम** में श्री नारायण गुरु लिखते हैं कि व्यक्ति अपने सुख के लिए जो कुछ भी करता है, उससे दूसरों को भी सुख मिलना चाहिए।
- उनके अनुसार, अद्वैत दर्शन को मानने वाले का स्वभाव ही **अहिंसा और करुणा से परिपूर्ण** होता है।

वर्तमान समय में श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं की प्रासंगिकता

- **समानता और सामाजिक न्याय:** उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत **"एक जाति, एक धर्म, और एक ईश्वर"** सभी प्रकार की सामाजिक असमानताओं का विरोध करता है।
- **सामाजिक न्याय का आंदोलन:** श्री नारायण गुरु ने **वायकोम सत्याग्रह** (1924-25) का समर्थन किया था। यह आंदोलन निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए चलाया गया था।
- **धार्मिक सद्भाव:** उन्होंने सभी धर्मों के प्रति **सार्वभौमिक भाईचारे और सम्मान की भावना** रखने पर बल दिया। उनका यह विचार वर्तमान में **अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा** देता है और **शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए कट्टरता पर रोक** लगाता है।

श्री नारायण गुरु के बारे में

- **जन्म और पृष्ठभूमि:** उनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के पास **एझवा समुदाय** (एक पिछड़ी जाति) में हुआ था।
- **व्यक्तित्व:** वे एक संत, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।
- **सामाजिक सुधार:** उन्होंने **श्री नारायण धर्म परिपालन (SNDP) योगम** की स्थापना की। इस संगठन ने पिछड़े समुदायों को एकजुट करने और सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **प्रमुख रचनाएं:** **आत्मोपदेश शतकम** और **निवृत्ति पंचकम**, आध्यात्मिक चर्चाओं में आज भी प्रभावशाली मानी जाती हैं।

अन्य सुर्ख़ियां

प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

प्राक्कलन समिति ने अपने गठन के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

- यह संसद की **तीन वित्तीय समितियों में सबसे बड़ी समिति** है। अन्य दो वित्तीय समितियां हैं; **सार्वजनिक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति।**

प्राक्कलन समिति के बारे में

- **स्थापना:** इसका गठन 1950 में हुआ था।
- **संरचना:** इसमें **30 सदस्य** होते हैं, जिन्हें **हर साल लोकसभा के सदस्यों** में से चुना जाता है।
  - **मंत्री इस समिति के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होते हैं।**
- **अध्यक्ष:** इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति **लोकसभा-अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से** की जाती है।
- **कार्यकाल:** समिति का कार्यकाल **एक वर्ष** का होता है।
- **मुख्य कार्य:**
  - **मितव्ययिता और संगठनात्मक सुधारों** पर रिपोर्ट देना।
  - **दक्षता** लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना।
  - नीतियों पर **व्यय की समीक्षा** करना।
  - यह सुझाव देना कि **प्राक्कलनों (बजटीय अनुमानों) को संसद में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**
- **सिफारिशें प्रस्तुत करना:** इस समिति की सिफारिशें **लोकसभा** में प्रस्तुत की जाती हैं और संबंधित मंत्रालय को **6 महीने के भीतर या समिति द्वारा निर्धारित आवश्यक समय-सीमा के भीतर कार्रवाई** करनी होती है।

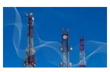

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (ABP)

गुजरात राज्य-नेतृत्व मॉडल के तहत **संशोधित भारतनेट परियोजना** (ABP) को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना।

ABP के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** भारतनेट कार्यक्रम की शुरुआत देशभर की सभी **ग्राम पंचायतों (GPs) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करने के लिए की गई थी।
- **उत्पत्ति:** ABP का अनुमोदन 2023 में **भारतनेट के डिजाइन में सुधार** करने के लिए किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - **2.64 लाख ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर (OF) कनेक्टिविटी** प्रदान करना।
    - **रिंग टोपोलॉजी** एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सभी डिवाइस एक गोल चक्र में जुड़े होते हैं।
  - **गैर-ग्राम पंचायत गांवों को मांग पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी** उपलब्ध कराना।
- **विशेषताएं:**
  - ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में **राउटर के साथ IP-MPLS (इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग) नेटवर्क की स्थापना।**
  - **10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव** की जिम्मेदारी तय की गई है।
  - प्रत्येक FTTH (फाइबर टू द होम) ग्राहक को **न्यूनतम 25 Mbps डाउनलोड स्पीड मिलेगी।**
  - इसमें **लास्ट-माइल नेटवर्क** को भारतनेट उद्यमी मॉडल के माध्यम से लागू किया जाना है।

नव्या/NAVYA पहल

हाल ही में **किशोरियों के लिए नव्या (NAVYA)** नाम से **व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल** की शुरुआत की गई।

नव्या (NAVYA) पहल के बारे में

- **मंत्रालय:** यह **केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय** की एक संयुक्त पहल है।
- **उद्देश्य: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत 16-18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान करना।
  - PMKVY 4.0 के तहत **नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) मानक** के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें **पुनः कौशल** (Reskilling) और **कौशल में सुधार** (Upskilling) शामिल है।
- **लक्ष्य:** लड़कियों को उनके पारंपरिक कार्यों की सीमा से आगे ले जाकर रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना।
  - रोजगार और उद्यमिता के नए अवसरों में शामिल हैं; **ग्राफिक डिजाइनर, स्मार्टफोन टेक्नीशियन, ड्रोन असेंबली एक्सपर्ट** आदि।
- **टारगेट क्षेत्र:** 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जिलों में लागू।

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स

क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स का अनावरण किया गया है। यह सूचकांक 25 **देशों के पांच प्रौद्योगिकी क्षेत्रों यथा- AI, जैव प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष और क्वांटम** में प्रदर्शन का आकलन करता है।

- **इसे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल** ने प्रकाशित किया है।
- इसमें 6 **मापदंडों** के आधार पर प्रत्येक प्रौद्योगिकी क्षेत्र की पहचान की गई है:
  - **भू-राजनीतिक महत्त्व,**
  - **प्रणालीगत प्रभाव,**
  - **GDP में योगदान,**
  - **दोहरे उपयोग की क्षमता,**
  - **आपूर्ति श्रृंखला जोखिम,** और
  - **परिपक्व होने में लगने वाला समय।**

प्रमुख निष्कर्ष

- भारत इन तकनीकी क्षेत्रों में **शीर्ष तीन (अमेरिका, चीन और यूरोप)** की तुलना में **काफी पीछे** है।
- भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से **सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी** में पिछड़ा हुआ है।

तानसेन

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने **ग्वालियर में हजरत शेख मुहम्मद गौस के मकबरे पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की अनुमति देने से इनकार** कर दिया।

- इस **स्मारक परिसर में तानसेन की समाधि** भी मौजूद हैं।

तानसेन के बारे में

- तानसेन **हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण** ज्ञाता थे,
- उनका **जन्म ग्वालियर** में हुआ था। उनके बचपन का नाम **रामतनु** था।
- उन्हें **"तानसेन"** की उपाधि **ग्वालियर के राजा विक्रमजीत** ने दी थी।
- उन्होंने संगीत की शिक्षा **स्वामी हरिदास** से प्राप्त की।
- तानसेन ने **हिंदू देवी-देवताओं** और अपने आश्रयदाताओं—**रामचंद्र बघेल** और **अकबर**—के लिए **ध्रुपद गायन** की रचनाएं कीं।
- वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार के **नवरत्नों** में से एक थे।
- उन्होंने कई प्रसिद्ध रागों की रचना की, जैसे—**मियां की मल्हार, मियां की तोड़ी और दरबारी।**
- उनके वंशज और शिष्य **"सेनिया"** (Seniyas) कहलाते हैं।

ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने एक **स्वदेशी बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक** के व्यवसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- यह बैटरी तकनीक **डुअल-मोड (नम और शुष्क) ब्लैक मास रिकवरी** का उपयोग करती है।

ब्लैक मास क्या है?

- जब एक **लिथियम-आयन बैटरी** अपने उपयोग की समाप्ति के चरण में पहुँचती है, तो उसका मूल्य खत्म नहीं होता। उस इस्तेमाल की गई बैटरी के भीतर एक गहरे रंग के **पाउडर जैसा पदार्थ** होता है जिसे **ब्लैक मास** कहा जाता है। यह वास्तव में **क्रिटिकल मिनरल्स का मिश्रण** होता है।
- इसे **रिकवर और रिफाइन करके नेक्स्ट जनरेशन की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को विद्युत** प्रदान के लिए फिर से उपयोग किया जा सकता है।

ब्लैक मास रिकवरी तकनीक के बारे में

- यह एक प्रक्रिया है जो इस्तेमाल की गई **लिथियम-आयन बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे बहुमूल्य पदार्थों** को निकालती है।
  - यह तकनीक अपशिष्ट से उपयोगी पदार्थ निकालने में अधिक प्रभावी है। यह वास्तव में **97-99% तक उपयोगी पदार्थ की रिकवरी** कर लेती है।

आपातकालीन खरीद व्यवस्था (Emergency Procurement)

रक्षा मंत्रालय ने **आपातकालीन खरीद व्यवस्था के तहत छठे चरण के अनुबंध** पूरे किए।

- इस खरीद व्यवस्था का उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों में तैनात सैनिकों को **आस-पास की स्थिति की जानकारी रखने तथा उनकी मारक क्षमता, आवाजाही और सुरक्षा** को बढ़ाना है।

"आपातकालीन खरीद व्यवस्था" के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** यह व्यवस्था **2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयरस्ट्राइक और 2020 में चीन के साथ लद्दाख में हुई झड़प** के बाद शुरू की गई।
- **उद्देश्य:** यह व्यवस्था रक्षा खरीद को तेजी से पूरा करने में मदद करती है, जिससे लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से बचा जा सके।
- **वर्तमान स्थिति:** अब सशस्त्र बल अपने पूंजीगत बजट (Capital Budget) का 15% हथियार और उपकरण की तत्काल खरीद में उपयोग कर सकते हैं, ताकि संचालन योग्य आवश्यक स्टॉक को पुनः भरा जा सके।

एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग

चीन के वैज्ञानिकों ने पहली बार **DNA एडिटिंग तकनीक** का उपयोग करके **दो नर चूहों से प्रजनन-सक्षम चूहे** विकसित किए हैं।

- यह नई खोज **एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग** को एक **प्रजनन तकनीक** के रूप में आगे बढ़ाती है, जिससे बिना मां के भी चूहे पैदा किए जा सकते हैं और उनके **स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता** पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या है?

- **एपिजेनेटिक्स:** यह **जीन अभिव्यक्ति में होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों का अध्ययन** है, जो अंतर्निहित DNA अनुक्रम में बदलाव किए बिना होते हैं।
- **एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग:** ये ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी **आनुवंशिक संशोधन हैं जो DNA अनुक्रम को बदले बिना जीन की गतिविधि को प्रभावित करते हैं।**
  - ये संशोधन DNA से जुड़े होते हैं तथा DNA के बिल्डिंग ब्लॉक्स के अनुक्रम को नहीं बदलते है।
- किसी कोशिका में DNA के पूर्ण सेट (जीनोम) में, वे सभी संशोधन जो जीन की गतिविधि (अभिव्यक्ति) को नियंत्रित करते हैं, उन्हें **एपिजीनोम** के रूप में जाना जाता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

दक्षिण अफ्रीका: राजधानी- प्रिटोरिया (प्रशासनिक)

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 9वीं संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की बैठक के दौरान **पनडुब्बी सहयोग** के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।

भौगोलिक अवस्थिति:

- **राजधानियां:** प्रिटोरिया (प्रशासनिक), केपटाउन (विधायी), ब्लोमफोंटेन (न्यायिक)।
- **अवस्थिति:** यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित देश है।
- **स्थलीय सीमा:** इसके उत्तर-पश्चिम में **नामीबिया**, उत्तर में **बोत्सवाना और जिम्बाब्वे**, तथा उत्तर-पूर्व एवं पूर्व में **मोजाम्बिक और एस्वतीनी** है।
  - **लेसोथो:** एकमात्र देश जो **पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका से घिरा** हुआ है।
- **समुद्री सीमाएं:** इसके दक्षिण-पूर्व में हिंद महासागर और दक्षिण-पश्चिम में अटलांटिक महासागर है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- **प्राकृतिक संसाधन:** सोना, एंटीमनी, कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल, रत्न, हीरे।
  - 2022 में, दक्षिण अफ्रीका **क्रोमाइट अयस्क** का दुनिया का अग्रणी उत्पादक था।
- **प्रमुख नदियां: ऑरेंज नदी** (अटलांटिक में गिरती है), **लिम्पोपो नदी** (मकर रेखा को दो बार काटती है और हिंद महासागर में गिरती है)।
- **पर्वत श्रृंखला:** ड्रेकेन्सबर्ग।